"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 मई 2010—ज्येष्ठ 10, शक 1932

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती खण्ड, मंत्रांलय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2010

क्र. 01/चार/रा. स. चु./2010/554.— राज्यसभा निर्वाचन-2010 हेतु भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का अधिसूचना संख्या 318/2/2010 (1), दिनांक 31 मई, 2010 एवं अधिसूचना संख्या 318/2/2010 (2), दिनांक 31 मई 2010 का राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2010—ज्येष्ठ 10, 1932 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/2/2010 (1).—यत:, भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी और भारत के राजपत्र में 31 मई, 2010 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट राज्यों की विधान सभा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की है कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में राज्यों के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में सदस्य निर्वाचित कर दें.

सारणी

राज्य (1)	निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या (2)
1. छत्तीसगढ़	2
2. मध्य प्रदेश	3
3. तमिलनाडु	6
4. कर्नाटक	4
5. उड़ीसा	3
6. महाराष्ट्र	6
7. पंजाब	2
8. राजस्थान	4
9. उत्तर प्रदेश	11
10. उत्तराखंड	1
11. बिहार	5
12. झारखण्ड	2
कुल	**49**

अत:, अब उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :-

(अ) उक्त वार्णित निर्वाचन के संबंध में

(क)	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख -	7 जून, 2010 (सोमवार)
(ख)	नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख -	8 जून, 2010 (मंगलवार)
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख -	10 जून, 2010 (गुरुवार)
(घ)	वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	17 जून, 2010 (गुरुवार)
(ङ)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	19 जून, 2010 (शनिवार)

नियत करता है ; और,

(इ) 9.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा.

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 31st May, 2010— Jyaistha 10, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/2/2010 (1) .— Whereas, the President of India has, by notification issued under section12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) and published in the Gazette of India on 31st May, 2010, been pleased to call upon the elected members of each of the Legislative Assemblies of the States, specified in column (1) of the TABLE below, to elect to the Council of States, the number of members specified against that State in column (2) of the said TABLE.

TABLE

State (1)	No. of members to be filled (2)
1. Chhattisgarh	2
2. Madhya Pradesh	3
3. Tamil Nadu	6
4. Karnataka	4
5. Orissa	3
6. Maharashtra	6
7. Punjab	2
8. Rajasthan	4
9. Uttar Pradesh	11
10. Uttarakhand	1
11. Bihar	5
12. Jharkhand	2
Total	**49**

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 39 and section 56 of the said Act, the Election Commission of India hereby-

(A) **appoints, with respect to the said election ;**

(a) The 7th June, 2010 (Monday), as the last date for making nominations ;

(b) The 8th June, 2010 Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations ;

(c) The 10th June, 2010 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures ;

(d) The 17th June, 2010 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken ; and

(e) The 19th June, 2010 (Saturday), as the date before which the election shall be completed ; and

(B) fixes the hours from 9.00 A. M. to 4.00 P. M, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken in all the above mentioned States on the date specified above for the election.

By order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Secretary
Election Commission of India

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई, 2010— ज्येष्ठ 10, 1932 (शक)

अधिसूचना

सं. 318/2/2010 (2). — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग, नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य सरकार के परामर्श से, राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों के संबंध में 31 मई, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारत के राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसरण में इसके द्वारा :-

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है ; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है.

सारणी

राज्य (1)	रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी (2)	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी (3)
1. छत्तीसगढ़	सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा	अपर सचिव, छत्तीसगढ़ विधान सभा
2. मध्य प्रदेश	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा	उप सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा
3. तमिलनाडु	सचिव, तमिलनाडु विधान सभा	उप सचिव, तमिलनाडु विधान सभा
4. कर्नाटक	सचिव, कर्नाटक विधान सभा	संयुक्त सचिव, कर्नाटक विधान सभा
5. उड़ीसा	सचिव, उड़ीसा विधान सभा	उप सचिव, उड़ीसा विधान सभा
6. महाराष्ट्र	प्रमुख सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय	श्री सुभाषचन्द्र मायकर, अवर सचिव, महाराष्ट्र विधान मंडल सचिवालय
7. पंजाब	सचिव, पंजाब विधान सभा	श्रीमती स्वर्ण कान्ता, अवर सचिव, पंजाब विधान सभा सचिवालय
8. राजस्थान	सचिव, राजस्थान विधान सभा	(1) उप सचिव (प्रशासन एवं सदन), राजस्थान विधान सभा (2) सहायक सचिव (सामान्य), राजस्थान विधान सभा

(1)	(2)	(3)
9. उत्तर प्रदेश	प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा	विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा
10. उत्तराखंड	प्रमुख सचिव, उत्तराखंड विधान सभा	अपर सचिव, उत्तराखंड विधान सभा
11. बिहार	सचिव, बिहार विधान सभा	उप सचिव, बिहार विधान सभा
12. झारखण्ड	सचिव, झारखण्ड विधान सभा	संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा

आदेश से,

हस्ता./-
(के. अजय कुमार)
सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 31st May, 2010—Jyaistha 10, 1932 (Saka)

NOTIFICATION

No. 318/2/2010 (2) .— In pursuance of section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the each States, specified in the column (1) of the TABLE below, hereby —

(i) designates the officer, specified in the corresponding entry in column (2) of the said TABLE to be the Returning Officer ; and

(ii) appoints the officer, specified in the corresponding entry in column (3) of the said TABLE to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions ;

in respect of the biennial elections to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Notification of the President of India, Published in the Gazette of India on 31st May, 2010 :-

TABLE

(1)	(2)	(3)
1. Chhattisgarh	Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha	Additional Secretary, Chhattisgarh Vidhan Sabha
2. Madhya Pradesh	Principal Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha	Deputy Secretary, Madhya Pradesh Vidhan Sabha
3. Tamil Nadu	Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly	Deputy Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly
4. Karnataka	Secretary, Karnataka Legislative Assembly	Joint Secretary, Karnataka Legislative Assembly
5. Orissa	Secretary, Orissa Legislative Assembly	Deputy Secretary, Orissa Legislative Assembly

(1)	(2)	(3)
6. Maharashtra	Principal Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat	Shri Subhashchandra Mayekar, Under Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat
7. Punjab	Secretary, Punjab Vidhan Sabha	Smt. Swarn Kanta Under Secretary, Punjab Vidhan Sabha Secretariat
8. Rajasthan	Secretary, Rajasthan Legislative Assembly	(1) Deputy Secretary (Administration & House), Rajasthan Legislative Assembly (2) Assistant Secretary (General), Rajasthan Legislative Assembly
9. Uttar Pradesh	Principal Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh	Special Secretary, Legislative Assembly, Uttar Pradesh
10. Uttarakhand	Principal Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha	Additional Secretary, Uttarakhand Vidhan Sabha
11. Bihar	Secretary, Bihar Vidhan Sabha	Deputy Secretary, Bihar Vidhan Sabha
12. Jharkhand	Secretary, Jharkhand Legislative Assembly	Joint Secretary, Jharkhand Legislative Assembly

By order,

Sd/-
(K. AJAY KUMAR)
Secretary
Election Commission of India

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.